

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with signature of Presiding Officer parties or Pleader where necessary	Signature of
	<p>राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ। आरोपी स्वयं उपस्थित। प्रकरण का विचारण धारा 262 द0प्र0सं के अधीन किया जा रहा है। 34</p> <p><u>आरोपी</u> अभियोगपत्र व संलग्न दस्तावेजों के आधार पर आरोपी द्वारा धारा 185-मोटोरयान अधिनियम का अपराध प्रथमदृष्टाया किया जाना प्रकट होता है। अतः उक्त धारा के अधीन अपराध की विशिष्टिया आरोपी को पढ़कर सुनाई व समझायी गयी। आरोपी ने स्वेच्छया से दोषसिद्ध का अभिवाक् किया। आरोपी का अभिवाक् अकित किया गया। आरोपी ने अभियोगपत्र के साथ संलग्न दस्तवेजी की सत्यता स्वीकार की। अतः अभियुक्त को दोषसिद्धि के अभिवाक् के परिणामस्वरूप निर्णय परित कर धारा 185 मोटोरयान अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दण्डादेश परित कर दो हजार रुपये के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा संदाय की गयी अर्थदण्ड की राशि दो हजार रुपये (2000/-रु) रसीद बुक क्रमांक 6903 की रसीद नं 25 पर जमा की गयी। अभियुक्त को अभिरक्षा से स्वतंत्र किया गया। प्रकरण का परिणाम दर्ज करने हेतु सूचना केन्द्रीय पंजीयक लिपिक को दी जावे। <u>पुलवत 9/12/85 मुद्रा (म.प्र.) 35 कबाले शरव श्री.लोवदि</u> प्रकरण को अभिलेख व्यवस्थित कर अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला मिण्ड म.प्र. पंकज शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-मिण्ड (म.प्र.)</p>	

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 50M/128/2017

Complaint or report made on

Name and address of the Complainant.....

Name, parentage, caste and address of accused

पंकज शर्मा पु/० धनश्याम शिवहर
उम 34 वर्ष निवासी देवह, बिना शिव

The offence, complaint of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 05-4-17 मुकाम
खानी शराब की डेक की दुकान बस स्टेशन में पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
आधिपत्य में 35 लीटर/पाव/बोतल बनारस शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।
ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

पंकज
हस्ता.

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

पंकज

पंकज
हस्ता.

// निर्णय //

(आज दिनांक 19-7-17 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं है।
03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायालय उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रुपये 2000 शब्दों में दोहराई गई रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 15 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
04. जप्तशुदा सम्पत्ति 35 क्वार्टर/पाव/बोतल शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्ट की जावे। अपील न होने पर मान्य अपील न्यायालय के आदेश का

19/7/17